दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 14-09-2025

नेशनल लोक अदालत • हाई कोर्ट, सभी जिला कोर्ट समेत अन्य अदालतों में हुई सुनवाई , सीजे ने बिलासपुर जिला कोर्ट में लिया जायजा

रिकॉर्ड 43 लाख से ज्यादा केस में निर्णय, 483 करोड़ का अवॉर्ड पास

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

प्रदेश में नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड 43 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। इसमें 483 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पास किए गए। हाई कोर्ट, प्रदेश के सभी जिला कोर्ट, तहसील समेत अन्य अदालतों में पक्षकारों की आपसी सहमति से मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ पैटर्न और चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के नेतृत्व और कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजय के. अग्रवाल और हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर 2025 को आयोजित तृतीय नेशनल लोक अदालत ने इतिहास रच दिया। पूरे राज्य में कुल 43,17,193 मामलों का निपटारा करते हुए 4,83,17,05,500 रुपये का अवॉर्ड पास किया गया। यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गौरव की बात है, बल्कि देश स्तर पर भी बिलासपुर लोक अदालत को प्रथम स्थान दिलाने में सफल रही। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने खुद हाई कोर्ट की बेंचों का निरीक्षण किया।

सीजे सिन्हा ने जिला कोर्ट में लोक अदालत का जायजा लिया।

सीजे ने कहा- आम लोगों में बढ़ेगा न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा- यह पहल न केवल अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि आम आदमी में न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ाएगी। लोक अदालतें महंगे और लंबे मुकदमों का विकल्प हैं। उन्होंने जिलों के जजों को निर्देश दिए कि भविष्य में और अधिक केसों को लोक अदालत में लाया जाए।

हाई कोर्ट में दो डिवीजन बेंच में 134 मामले निपटे

हाई कोर्ट में दो बेंचों का गठन किया गया, जिनमें जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी पीठासीन अधिकारी रहे। यहां क्रिमिनल के 7, सिविल के 64, रिट के 62 और अन्य सिविल मामलों के 1 कुल 134 केस निपटाए गए, जिनमें 2 करोड़ 70 हजार रुपए का अवॉर्ड पारित हुआ। सीजे सिन्हा ने हाई कोर्ट की बेंचों से चर्चा की, इसके बाद वे बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे और यहां चल रही सुनवाई का निरीक्षण किया। इसके अलावा, बाकी जिलों की लोक अदालतों का वर्चुअल माध्यम से जायजा लिया। उन्होंने सभी प्रधान जिला जजों से चर्चा कर अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए मार्गदर्शन दिया।

वर्चुअल मोड से सुने गए केस

इस लोक अदालत में जहां पक्षकार उपस्थित नहीं हो सके, वहां उन्हें वर्चुअल मोड और मोबाइल वैन के जरिए जोड़ा गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी न्याय मिला। चीफ जस्टिस ने सभी पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों, वकीलों, पक्षकारों और स्टेकहोल्डर्स को धन्यवाद दिया, जिन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया।

रिकॉर्ड निपटारे से मिली राहत

यह लोक अदालत 'जनसामान्य को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय' के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। यहां विवादों का निपटारा आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण बातचीत से हुआ। लोक अदालत में सुलझे मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता और पहले जमा कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। राज्य भर में लोक अदालत में मामलों की सुनवाई की गई।

बिल्हा व्यवहार न्यायालय में भी हुई मामलों की सुनवाई

नेशनल लोक अदालत के तहत बिल्हा स्थित व्यवहार न्यायालय में भी कई मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद बोदरी की सीएमओ भारती साहू व उनकी टीम मौजूद रही।